

द्वि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली
औद्योगिक संबंध समूह

30 जनवरी, 2017

परिपत्र सं०. औ.सं./03/2017

संदर्भ: परिपत्र सं०.औसं./09/2012 दिनांक 19.04.2012

विषय: कैफेटीरिया आधारित अनुलब्धियों एवं भत्तों के संदर्भ में ।

यह निर्णय लिया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 से कैफेटीरिया व्यवस्था के अधीन अनुलब्धियों एवं भत्तों के संबंध में आयकर में छूट की अनुमति वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर दी जायेगी ।

आगे, कैफेटीरिया आधारित अनुलब्धियों एवं भत्तों के अधीन यात्रा भत्ते का नामकरण परिवहन भत्ते में परिवर्तित किया जाता है ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

सोहम गुहा
30/01/2017
(सोहम गुहा)
प्रबंधक (कार्मिक)

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी के सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक/प्रभागाध्यक्ष
- उप महाप्रबंधक (वित्त) (ले.एवं स्था.)
- हिन्दी कक्ष
- वेबसाइट/नोटिस बोर्ड

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATION GROUP)

January 30th, 2017

CIRCULAR NO: IR/03/2017

Ref: Circular No. IR/09/2012 dated 19.04.2012

Subject: Cafeteria Based Perks & Allowances-Reg.

It has been decided that Income Tax exemption will be allowed against the submission of actual bills in respect of perquisite and allowances under Cafeteria approach w.e.f the Current Financial year i.e 2016-2017.

Further, the nomenclature of 'Conveyance Allowance' under the "Cafeteria based Perks and Allowances" is hereby changed to 'Transport Allowance'.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Soham Guha
30/01/2017
(Soham Guha)
Manager (Personnel)

- Exe. Secy. To CMD
- Exe. Secys. To Director/CVO
- All CGMs
- All BMs/Divisional Heads
- DGM(F)(A&E)
- Hindi Cell
- Website/Notice Board